कार्यालय संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक: आरटीई पोर्टल/तृतीय चरण/दिशा-निर्देश/2026 / 1416.. नवा रायपुर, दिनांक: 15/07/2026

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,

छत्तीसगढ़।

विषय: ऑनलाइन आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत सत्र 2026-27 हेतु **तृतीय एवं अंतिम चरण** की प्रवेश प्रक्रिया एवं समय-सारणी के संबंध में।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 698/895/2026/20-तीन, दिनांक 10/07/2026।

==00==

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में कक्षा पहली में आर.टी.ई. की रिक्त सीटों को अधिक से अधिक पात्र बच्चों से भरे जाने हेतु तृतीय एवं अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की जाती है:

स.क्र.	दिनांक	कार्यवाही का विवरण
1	17 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026	जिला स्तर पर शालावार आर.टी.ई. की रिक्त सीटों का प्रकटीकरण एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
2	22 जुलाई 2026 से 05 अगस्त 2026	पात्र आवेदकों (पालकों) द्वारा आर.टी.ई. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना एवं पूर्व आवेदनों मे संशोधन।
3	25 जुलाई 2026 से 07 अगस्त 2026	नोडल प्राचार्यों द्वारा प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्मता से परीक्षण/सत्यापन कर पात्र एवं अपात्र आवेदनों की प्रविष्टि पोर्टल पर करना।
4	10 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2026	ऑनलाइन लॉटरी / काउंसलिंग के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची (आबंटन) जारी करना।
5	17 अगस्त 2026 से 25 अगस्त 2026	लॉटरी में चयनित बच्चों का संबंधित निजी विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित कराना।
6	20 अगस्त 2026 से 27 अगस्त 2026	प्रवेशानुसार नोडल प्राचार्यों द्वारा प्रवेशित बच्चों की अंतिम प्रविष्टि (एंट्री) आर.टी.ई. पोर्टल पर दर्ज करना।

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:

1. **पात्रता:** जो बच्चे पूर्व के चरणों में प्रवेश ले चुके हैं, उन्हें छोड़कर अन्य शेष पात्र बच्चों से ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएं। प्रथम चरण के समय लागू सभी नियम, इस चरण में यथावत रहेंगे।
2. **प्रचार-प्रसार:** निजी शालाओं के समीप स्थित बसाहटों में निवासरत पालकों तक इस अंतिम चरण की जानकारी पहुँचाने हेतु स्थानीय स्तर पर मुनादी या समाचार पत्रों के माध्यम से उचित प्रचार-प्रसार

सुनिश्चित करें।

3. **समय-सीमा:** शासन के निर्देशानुसार यह संपूर्ण प्रक्रिया किसी भी स्थिति में **27 अगस्त 2026** के पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण की जानी है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त समय-सारणी का कड़ाई से पालन करते हुए अपने जिले के अंतर्गत आने वाले सभी नोडल अधिकारियों एवं निजी विद्यालयों को आवश्यक निर्देश जारी करें तथा दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार ।

Digitally signed by
RITURAJ RAGHUVANSHI
Date: 15-07-2026
11:28:55

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक: आरटीई पोर्टल/तृतीय चरण/दिशा-निर्देश/2026 /147 **नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक:** /07/2026

प्रतिलिपि

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

1. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़।
5. समस्त नोडल प्राचार्य, छत्तीसगढ़ को इस निर्देश के साथ कि समय-सीमा में कार्यवाही पूर्ण करें।

sd/-

(संचालक)

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़